



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

12 फाल्गुन, 1943 (श०)

संख्या - 86 राँची, गुरुवार,

3 मार्च, 2022 (ई०)

खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना

2 मार्च, 2022

संख्या-ख०नि०(विविध)-41/2016-429-एम०, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 (अधिनियम संख्या-67/1957) की धारा-15 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल झारखण्ड राज्य लघु खनिज समनुदान (यथा संशोधित) में संशोधन करते हुए झारखण्ड राज्य लघु खनिज समनुदान (संशोधन) नियमावली, 2021 में गठित करते हैं।

1. लघु शीर्षक, विस्तार तथा प्रारम्भ

- (1) यह नियमावली "झारखण्ड लघु खनिज समनुदान (संशोधन) नियमावली, 2021" कहा जाएगा।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
- (3) यह संशोधन नियमावली झारखण्ड राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

2. झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 यथा संशोधित के नियम-9(1)(क) के परन्तुक को निम्नवत जोड़ा जाता है:-

“परन्तुक राज्यान्तर्गत ढीबरा डम्प में पाये जाने वाले अभ्रख खनिज, जिसका व्यवसायिक मूल्य हो, के भंडार/डम्प का निष्पादन झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि० के माध्यम से किया जाए, जिसके बावत मार्गदर्शक सिद्धांतों का निरूपण विभाग द्वारा किया जाएगा ।

3. किसी भी Dhibra Dumps का Disposal के पूर्व उसका भूतत्व निदेशालय, खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा पूर्ण मानचित्रण (Mapping) भंडारण की मात्रा एवं गुणवत्ता का आकलन (Volume and Quantity) विधिमान्य तरीका से किया जाना आवश्यक होगा। उक्त के उपरान्त किसी भी ढीबरा डम्प का निष्पादन किया जाएगा ताकि किसी भी स्थिति में ढीबरा डम्प के निष्पादन के आड़ में अवैध खनन न हो सके ।

4. किसी भी ढीबरा डम्प के निष्पादन के पूर्व उक्त डम्प का Chemical Analysis/ Mineralogical Analysis का Report तैयार कराना आवश्यक होगा ताकि इसकी Composition/ गुणवत्ता स्थापित हो सके ।

5. वैसे ढीबरा डम्प, जो वन क्षेत्र के अन्तर्गत अवस्थित हो, उसके निष्पादन के पूर्व वन अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अन्य वाँछित वैधानिक स्वीकृतियाँ प्राप्त कर लेना आवश्यक होगा ।

6. सर्वश्री झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि० द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मार्गदर्शक सिद्धांत (परिशिष्ट-1) जोड़ा जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

पूजा सिंघल,
सरकार के सचिव ।

खान एवं भूतत्व विभाग

राज्यान्तर्गत ढीबरा डम्प में निहित अभ्रख खनिज के निष्पादन हेतु झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि० द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मार्गदर्शक सिद्धांत ।

- 1). किसी भी Dhibra Dumps का Disposal के पूर्व उसका भूतत्व निदेशालय, खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा पूर्ण मानचित्रण (Mapping) भंडारण की मात्रा एवं गुणवत्ता का आकलन (Volume and Quantity) विधिमान्य तरीका से किया जाना आवश्यक होगा। उक्त के उपरांत किसी भी ढीबरा डम्प का निष्पादन किया जाएगा ताकि किसी भी स्थिति में ढीबरा डम्प के निष्पादन के आड़ में अवैध खनन न हो सके ।
- 2). किसी भी ढीबरा डम्प के निष्पादन के पूर्व उक्त डम्प का Chemical Analysis/ Mineralogical Analysis का Report तैयार कराना आवश्यक होगा ताकि इसकी Composition/ गुणवत्ता स्थापित हो सके ।
- 3). वैसे ढीबरा डम्प, जो वन क्षेत्र के अन्तर्गत अवस्थित हो, उसके निष्पादन के पूर्व वन अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अन्य वाँछित वैधानिक स्वीकृति प्राप्त कर लेना आवश्यक होगा ।
- 4). ढीबरा में निहित माईका के निष्पादन के लिए झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि० झारखण्ड सरकार की एक एजेंसी के रूप में अगले 05 वर्षों तक के लिए कार्य करेगी ।
- 5). झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि० को भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन, खरीद एवं बिक्री के उद्देश्य से ढीबरा से किसी भी रूप में निकाले गए अभ्रख खनिज के लिए विभाग से The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के तहत डीलर लाईसेंस प्राप्त करना होगा ।
- 6). झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि० ढीबरा से अभ्रख को अलग करने के लिए संबंधित सहकारी समितियों की सहायता ले सकती है ।
- 7). ढीबरा से प्रसंस्करण के पश्चात प्राप्त अभ्रख की बिक्री सर्वश्री झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि० द्वारा किया जाएगा ।
- 8). ढीबरा से अभ्रख के निष्काषण, प्रसंस्करण एवं अन्य संबंधित कार्यों के लिए सरकारी समितियों से लिए गए मदद के बावत नियमानुकूल मजदूरी/पारिश्रमिक का भुगतान सर्वश्री झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि० द्वारा संबंधित समिति को किया जाएगा ।

- 9). झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि० यह सुनिश्चित करेगी कि ढीबरा से अभ्रख की निकासी, प्रसंस्करण एवं अन्य संबंधित कार्य पर लगाये गये सहकारी समितियों के द्वारा किसी भी स्थिति में बाल श्रमिकों का उपयोग नहीं करेगी। साथ ही इस कार्य में लगाये गये सहकारी समितियों के द्वारा श्रमिकों के लिए प्रावधानित सभी कानूनों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगी ।
- 10). सर्वश्री झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि० द्वारा इस प्रकार ढीबरा से निकाले गये अभ्रख की बिक्री के लिए ऑनलाइन नीलामी के माध्यम से एजेंसी का चयन करेगी ।
- 11). झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि० में माईका (ढीबरा) के लिए अलग लेखा-जोखा संघारित करेगा एवं प्रत्येक तीन माह में मुनाफा का आकलन कर मात्र 05 प्रतिशत कटौती के उपरांत राशि राजकोष में जमा की जाएगी एवं अंतिम खाता वर्ष के अन्त में तैयार किया जाएगा ।
- 12). ढीबरा से माईका निकासी, भंडारण, प्रसंस्करण, प्रबंधन, खरीद एवं बिक्री सम्पूर्ण कार्य का अंकेक्षण महालेखाकार, झारखण्ड द्वारा नामित Chartered Accountant से कराना होगा एवं इसका लेखा-जोखा विभाग को भी उपलब्ध कराना होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

पूजा सिंघल,
सरकार के सचिव ।
